न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 28/2019

1. श्री मोहन
2. श्री गैना
3. श्री छोटू

पुत्रगण श्री छीतर जाति रावत, निवासीगण ग्राम अखेपुरा (गोविन्दगढ) तहसील पीसांगन, जिला अजमेर

....................अपीलान्टस

बनाम

1. श्रीमति मैना देवी पत्नि स्व0 श्री काना
2. श्री रूपा पुत्र स्व0 श्री काना
3. श्रीमति जमनी पत्नि स्व0 श्री बोदू
4. श्री नारा
5. श्री दूला
6. श्री कालू
7. श्री बिशना

   पुत्रगण स्व0 श्री बोदू

8. श्रीमति चांदा पुत्री स्व0 श्री बोदू

समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम अखेपुरा (गोविन्दगढ) तहसील पीसांगन, जिला अजमेर

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन

....................रेस्पोडेन्टस

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— 1. श्री एन.एस. राजावत, वकील अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री हेमराज राठौड़, सरकारी वकील।

आदेश

दिनांक—25.10.2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अखेपुरा, तहसील पीसांगन रिथत कृषि भूमि आराजी खसरा संख्या 219 रकबा 0.45 हैक्टर किस्म चाही 2, खसरा संख्या 220 रकबा 0.03 किस्म गै0मु0 चाह, खसरा संख्या 221 रकबा 0.42 किस्म चाही 2, खसरा संख्या 222 रकबा 0.46 किस्म चाही 2, खसरा संख्या 268 रकबा 0.50 किस्म चाही 1, खसरा संख्या 269 रकबा 0.65 किस्म चाही 1, खसरा संख्या 270 रकबा 1.04 किस्म चाही 1, खसरा संख्या 271 रकबा 0.45 किस्म चाही 1, खसरा संख्या 272 रकबा 0.88 किस्म चाही 1 व खसरा संख्या 276 रकबा 0.57 किस्म चाही 1 के सहखातेदार अपीलान्ट्स श्री मोहन, श्री गैना व श्री छोटू पुत्रगण श्री छीतर समस्त जाति रावत एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 8 श्रीमति मैना

अपर कलक्टर,
अजमेर

देवी पत्नि स्व0 श्री काना, श्री रूपा पुत्र स्व0 श्री काना, श्रीमति जमनी पत्नि स्व0 श्री बोदू, श्री नारा, श्री दूला, श्री कालू, श्री बिशना पुत्रगण स्व0 श्री बोदू व श्रीमति चांदा पुत्री स्व0 श्री बोदू समस्त जाति रावत द्वारा तहसीलदार पीसांगन के समक्ष आपसी सहमति से अपनी खातेदारी कृषि भूमि का बंटवारा करने बाबत एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पेश किया। तहसीलदार पीसांगन द्वारा बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 14.02.2008 को निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय अनुसार श्री मोहन, श्री गैना व श्री छोटू पुत्रगण श्री छीतर जाति रावत के हिस्से में खसरा संख्या 219, 268 व 269 रकबा क्रमशः 0.45, 0.50 व 0.65 कुल रकबा 1.60, श्रीमति मैना देवी पत्नि स्व0 श्री काना व श्री रूपा पुत्र स्व0 श्री काना जाति रावत के हिस्से में खसरा संख्या 222, 272 व 276 रकबा क्रमशः 0.46, 0.88 व 0.57 कुल रकबा 1.91 एवं श्रीमति जमनी पत्नि स्व0 श्री बोदू, श्री नारा, श्री दूला, श्री कालू, श्री बिशना पुत्रगण स्व0 श्री बोदू व श्रीमति चांदा पुत्री स्व0 श्री बोदू जाति रावत के हिस्से में खसरा संख्या 221, 270 व 271 रकबा क्रमशः 0.42, 1.04 व 0.45 कुल रकबा 1.91 बाबत बंटवारा स्वीकार किया गया। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 14.02.2008 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर रेस्पो0 के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित हुए किन्तु जवाब नोटिस पेश नहीं किया एवं न ही बहस हेतु निश्चित दिन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

मियाद के बिन्दु पर राजकीय अभिभाषक द्वारा कोई एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया। हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील अपीलांटस ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम अखेपुरा तहसील पीसांगन स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा संख्या 219 रकबा 0.45 हैक्टर किस्म चाही 2, खसरा संख्या 220 रकबा 0.03 किस्म गै0मु0 चाह, खसरा संख्या 221 रकबा 0.42 किस्म चाही 2, खसरा संख्या 222 रकबा 0.46 किस्म चाही 2, खसरा संख्या 268 रकबा 0.50 किस्म चाही 1, खसरा संख्या 269 रकबा 0.65 किस्म चाही 1, खसरा संख्या 270 रकबा 1.04 किस्म चाही 1, खसरा संख्या 271 रकबा 0.45 किस्म चाही 1, खसरा संख्या 272 रकबा 0.88 किस्म चाही 1 व खसरा संख्या 276 रकबा 0.57 किस्म चाही 1 अपीलान्ट्स एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 की पैतृक खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि रही है। विवादित भूमि बाबत अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 1 से 8 द्वारा बंटवारा आवेदन पत्र मय सहमति पत्र तहसीलदार पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत किया गया किन्तु आवेदन पत्र व सहमति पत्र में कांट छांट करते हुए दुरूस्ती किये जाने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना व सहमति प्राप्त किये बिना आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया है जो प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट्स का कथन है कि अपीलान्ट्स विभाजित भूमि के साथ वर्तमान खसरा संख्या 271 में अंकित डोटेड लाईन से लगते हुए वर्तमान खसरा संख्या 269 व 270 की दक्षिण सीमा से लगते हुए 01–10–00

अपर कलक्टर,
अजमेर

बीघा भूमि पर पूर्वजों के समय से हुए विभाजन के तहत समान भूमि पर स्वामित्व एवं आधिपत्य प्राप्त होकर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। आक्षेपीय आदेश दिनांक 14.02.2008 के आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 से 8 ने अपीलान्ट्स की अशिक्षितता व अज्ञानता का फायदा उठाते हुए राजस्व रेकॉर्ड में हुए इन्द्राज के आधार पर उक्त वर्णित भूमि रकबा 01--10--00 बीघा से दिनांक 25.06.2018 को बेदखल करने का प्रयास किया गया। अपीलान्ट द्वारा विभाजन आदेश की पत्रावली की प्रति हेतु दिनांक 28.06.2018 को आवेदन किया गया एवं दिनांक 02.07.2018 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर रेस्पो0 से यह त्रुटि दुरूस्त करवाने का निवेदन किया परन्तु निरन्तर आश्वासन उपरान्त दिनांक 09.03.2019 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया।

वकील अपीलान्ट्स ने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) व राजस्थान राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 में वर्णित विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। विवादित कृषि भूमियों की किस्म चाही है एवं वर्तमान खसरा संख्या 220 रकबा 0.03 गैर मुमकिन चाह है जिससे सम्पूर्ण आराजी की सिंचाई होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत अपीलान्ट्स को कुल रकबा 1.60 हैक्टर तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 एवं 3 से 8 को क्रमश 1.91 व 1.91 हैक्टर भूमि विभाजन से प्रदान की है जबकि खसरा संख्या 220 रकबा 0.03 गैर मुमकिन चाह व रास्ते के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। विभाजन आदेश के साथ लगान के वितरण के सम्बन्ध में भी आदेश पारित किया जाना विधि का आज्ञापक सिद्धांत है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(02) की उपधारा ख(02) एवं राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 20 के अन्तर्गत उल्लेखित प्रावधानों की पालना नहीं की है। अंत में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपसी सहमति के आधार पर भूमि विभाजन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर पक्षकारान के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी अंकित है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपीय आदेश पारित किया है। उन्होने कथन किया कि Consent के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर नियमानुसार भूमि विभाजन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पक्षकारान द्वारा बंटवारा प्रस्ताव व सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर उनके हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी अंकित है किन्तु यह भी स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव व सहमति पत्र में वर्णित खातेदारों के नामों में कांट छांट की गई है जिससे संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। हम वकील अपीलान्ट के इन कथनों से भी सहमत हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) व राजस्थान राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 की भी पालना नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2008 निरस्त किया जाता है

अपर कलक्टर,
अजमेर

तथा अपील तहसीलदार पीसांगन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौका एवं रेकार्ड के परिपेक्ष्य में युक्तियुक्त एवं न्यायसंगत आदेश पारित करे।

आदेश आज दिनांक 25.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
अजमेर।

कैलाश चन्द्र शर्मा
अपर कलक्टर, अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Sharma
Date: 2019.11.07 16:09:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: